बिहार विधान परिषद् सचिवालय

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं.-02/2023

[डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं निम्नवर्गीय लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु]

दिनांक: 15.09.2023

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं.-02/2023 के आलोक में सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि :-

1. बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं.-02/2023 के आलोक में डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 24.09.2023 को पटना स्थित केन्द्रों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित है
2. प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश-पत्र **(Admit Card)** बिहार विधान परिषद् की बेबसाईट http://www.biharvidhanparishad.gov.in पर दिनांक 17.09.2023 को 09:00 बजे पूर्वा. से उपलब्ध रहेगा।
3. आवेदक अपना **Registration Id** एवं **Password** के द्वारा ऑनलाईन लॉग-ईन के माध्यम से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
4. संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना आवेदन में अंकित मोबाईल नं. एवं ई-मेल पर प्रेषित है।

अभ्यर्थियों को डाक से (by Post) इसकी सूचना निर्गत नहीं की जाएगी।

---

5. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ हेतु परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र की प्रति अलग से अपने पास रखेंगे। प्रत्येक बैच की परीक्षा की समाप्ति के पश्चात प्रवेश-पत्र परीक्षार्थियों से जमा करा दिया जाएगा।
6. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर पहचान-पत्र जिससे उसकी पहचान स्थापित किया जा सके यथा आधार कार्ड , मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि के साथ उपस्थित होंगे।
7. प्रवेश-पत्र एवं पहचान-पत्र (मूल प्रति में) के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहचान-पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
8. परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहूंचेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट बंद होने की निर्धारित समय सीमा के बाद परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. परीक्षा केन्द्र में घड़ियां, पुस्तकें, कागज के टुकड़े, पत्रिकाएं, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स तथा मोबाईल फोन, ब्लूटुथ डिवाइस, हेडफोन, पेन- बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरी आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री अभ्यर्थी के पास पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।
10. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी की प्रक्रिया (Frisking) से गुजरना होगा।
11. परीक्षार्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा।
12. परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाते हैं तो उन्हें पुन: प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
13. यदि किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणवश परीक्षा विलम्ब से शुरू होती है या बीच में बाधित हो जाती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

14. परीक्षा के लिए उपस्थित होने पर परीक्षार्थी संबंधित पदाधिकारी द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करेंगे। यदि कोई परीक्षार्थी केन्द्र पर शांति भंग करते हुए पाए जाते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

15. blcsrecruitment@gmail.com पर परीक्षा की तिथि से एक दिन पूर्व तक ई-मेल भेज कर परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

16. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि एवं समय बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर आने-जाने हेतु कोई व्यय देय नहीं होगा।

कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति बिहार विधान परिषद् सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या- 06122215667 तथा ई- मेल: blc-bih@nic.in पर सूचित करें। ऐसे तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

के०कु०सिंह
15.09.2023

(कमलेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक
बिहार विधान परिषद्